

**फॉर्म -22**  
**अंत्येष्टि व्यय दावा फॉर्म**  
**कर्मचारी राज्य बीमा निगम**  
(विनियम 95 ड)

.....(बीमाकृत व्यक्ति) आयु..... वर्ष पुत्र/पत्नी/पुत्री.....बीमा  
संख्या.....और जो मेसर्स ..... कोड  
नं ..... में ..... के रूप में कार्यरत थे, की मृत्यु दिनांक.....  
को (मृत्यु का कारण ..... ) से उत्पन्न दावा |

मैं..... पुत्र /पत्नी/पुत्री.....  
उम्र..... वर्ष यह घोषित करता/करती हूँ कि

\* 1. मैं मृत बीमाकृत व्यक्ति के परिवार का ज्येष्ठतम उतरजीवी सदस्य हूँ जिसका विवरण उपर प्रस्तुत किया गया है, तथा मैंने उक्त मृत व्यक्ति की अन्तेष्टि के लिए आवश्यक रू.....(रूपए..... मात्र) खर्च किये हैं |

**अथवा**

\* 2. उस मृत बीमाकृत व्यक्ति, जिसका विवरण ऊपर दिया गया है का कोई परिवार नहीं है / अपनी मृत्यु के समय अपने परिवार के साथ नहीं रह रहा था /रही थी और मैंने वास्तव में मृत बीमाकृत व्यक्ति के अंत्येष्टि पर रू.....(रूपए..... मात्र) खर्च किये हैं |

\* 3. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार मेरे अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति ने अंत्येष्टि पर कोई व्यय नहीं किया है |

तदनुसार मैं ..... रूपए (रूपए.....मात्र) की राशि के अंत्येष्टि व्यय का दावा करता/करती हूँ |

तारीख ..... बड़े अक्षरों में नाम ..... दावेदार के हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान

**प्रमाणन**

\*\* प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त घोषणा मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है |

**बड़े अक्षरों में नाम तथा अनुप्रमाणन अधिकारी की रबर मोहर /सील**

हस्ताक्षर .....  
पदनाम .....

दिनांक .....

\*मामले में (1) अथवा (2) जो लागू न हो उसे हटा दे |

\*\* यह प्रमाण-पत्र (1) सरकार के राजस्व, न्यायिक या मजिस्ट्रेट विभाग के किसी भी अधिकारी, अथवा (2) नगर पालिका आयुक्त अथवा (3) कर्मकर प्रतिकार आयुक्त, अथवा (4) ग्राम पंचायत के मुखिया (पंचायत की सरकारी सील लगा कर), अथवा विधायक/संसद अथवा (5) केंद्र/राज्य सरकार के राज्य पत्रित अधिकारी, (6) स्थानीय समिति/क्षेत्रीय बोर्ड के सदस्य, अथवा, (7) किसी अन्य अधिकारी जिसे शाखा प्रबंधक उपयुक्त समझे, द्वारा दिया जायेगा |

**महत्वपूर्ण :** जो व्यक्ति अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए हितलाभ प्राप्त करने के प्रयोजन से मिथ्या कथन या अभिवेदन करता है, दंडनीय अपराध करता है तथा उसे 6 माह तक की कैद अथवा 2000/- रूपए के जुर्माने अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है |

**टिप्पणी :** अवयस्क के मामले में, अवयस्क की ओर से संरक्षक दावे पर हस्ताक्षर करेगा और हस्ताक्षर के नीचे निम्नलिखित शब्द जोड़ेगा-

(अवयस्क का नाम ..... मार्फत ( उसके संरक्षक का नाम .....उससे सम्बन्ध.....)